

भारत सरकार  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
लोक सभा  
लिखित प्रश्न सं. 3528  
जिसका उत्तर 24.03.2022 को दिया जाना है  
इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा

3528. श्री नायब सिंह सैनी:

श्री हाजी फजलुर रहमान:

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

श्री रमेश बिधूड़ी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी/इलेक्ट्रिक वाहनों (ईबी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार ने केंद्र और राज्य सरकारों के सभी सरकारी अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा हरियाणा राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रमुख पहलें की गई हैं;

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर ईवी चार्जिंग अवसंरचना के विकास हेतु और ऐसे चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली की आपूर्ति को सुचारु बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ड.) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरियों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक खनिज लिथियम के संबंध में किसी योजना पर काम कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) में छूट देने की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: -

1. भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों को अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और इसके निर्माण (फेम इंडिया) की योजना बनाई। वर्तमान में, फेम इंडिया योजना के चरण- II को 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 5 वर्षों की अवधि के लिए 01.04.2019 से लागू किया जा रहा है।

2. सरकार ने 12.05.2021 को उन्नत रसायन प्रकोष्ठ (एसीसी) के निर्माण के लिए 18,100 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी।
3. इलेक्ट्रिक वाहन ऑटोमोबाइल और ऑटो कलपुर्जों के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत आते हैं, जिसे 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 5 साल के लिए 15.09.2021 को अनुमोदित किया गया था।
4. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। चार्जर्स/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
5. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने का.आ. 5333(अ) दिनांकित 18.10.2018 के माध्यम से बैटरी चालित परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकता से छूट दी।
6. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और साझा गतिशीलता के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन में शून्य उत्सर्जन वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए दिनांक 17.07.2019 को एक परामर्शी जारी की।
7. विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए "गो इलेक्ट्रिक" अभियान शुरू किया है। इसके लिए 27 राज्य नोडल एजेंसियों को 3.60 करोड़ रु. मंजूर किए गए हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की योजनाएँ अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं।

(घ) फेम इंडिया योजना के तहत चार्जिंग अवसंरचना का निर्माण को सहायता प्रदान की जाती है। फेम-II के तहत चार्जिंग अवसंरचना के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान, 5 साल (2019-2024) की अवधि के लिए निर्धारित किए गए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम-II के तहत 68 शहरों में 2877 चार्जिंग स्टेशन और 16 राजमार्गों और 9 एक्सप्रेसवे पर 1576 चार्जिंग स्टेशनों को भी मंजूरी दी है।

भारी उद्योग मंत्रालय (डीएचआई) ने एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए फेम इंडिया योजना चरण- II के तहत राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक ईवी चार्जिंग अवसंरचना का निर्माण और संचालन करने के लिए किसी भी सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) (राज्य/केंद्रीय)/सरकारी डिस्कॉम/तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और इसी तरह की अन्य सार्वजनिक/निजी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे, जिसमें पीएसयू एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) कंसोर्टियम के साथ कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल की सहायक कंपनी) को 16 एनएच / एक्सप्रेसवे के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का काम सौंपा गया है। उपरोक्त के आलोक में, ईईएसएल की सुविधा के लिए, एनएचएआई ने ईईएसएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, एनएचएआई, एनएचएआई और ईईएसएल को एक सहमत राशि के शर्ताधीन राजस्व साझाकरण मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रिक

वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए टोल प्लाजा और उसके भवनों के पास स्थान/भूमि प्रदान करेगा।

(ड) सरकार ने 09.06.2021 को एसीसी के 50 गीगावॉट और "आला" एसीसी के 5 गीगावॉट की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए 18,100 करोड़ रु. के एक परिव्यय के साथ "उन्नत रसायन प्रकोष्ठ (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम" अधिसूचित किया था।

(च) इलेक्ट्रिक वाहनों और ईवी चार्जर्स पर जीएसटी 5% है।

\*\*\*\*\*